



मधुवन नगरपालिका

स्थानीय राजपत्र

खण्ड : ३

संख्या : ६

प्रमाणिकरण मिति : २०७६/९/८

प्रकाशन मिति : २०७६/९/९

भाग - २

मधुवन नगरपालिका

पशु सेवा सम्वन्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन निर्देशिका-२०७६

नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भए अनुसार कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य तथा कृषि प्रसारको व्यवस्थापन संवन्धि कार्यहरु स्थानिय तहबाट सम्पादन गर्नु पर्ने भएको र संघियता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा बजेट कार्यक्रम, जनशक्ति तथा साधन श्रोतहरु स्थानिय तहमा हस्तान्तरण हुँदै गरेको सन्दर्भमा कृषक समुदायको जीविकोपार्जनमा अनादिकालदेखि महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको पशुपालन व्यवसायलाई विविधिकरण, व्यवसायीकरण, आयमुलक तथा सम्मानित पेशाको रुपमा विकास गरी पशुधनको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै पशुजन्य उत्पादनहरुमा यस मधुवन नगरपालिका लाई आत्मनिर्भर बनाई रोजगारी स्थापना र राष्ट्रिय उत्पादनमा समेत योगदान दिन यस नगरपालिकाबाट संचालन हुने पशु सेवा सम्वन्धि कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) बमोजिम यो निर्देशिका जारी गरिएको छ ।

परिच्छेद १

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:

- (क) यो निर्देशिकाको नाम “पशु सेवा कार्यक्रमहरु सञ्चालन निर्देशिका-२०७६ ” रहेको छ ।
(ख) यो निर्देशिका मधुवन नगरकार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएपछि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामा

- (क) “निर्देशिका” भन्नाले पशु सेवा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका-२०७६ सम्भन्तु पर्दछ ।
(ख) “नगरपालिका” भन्नाले मधुवन नगरपालिका र “नगरकार्यपालिका” भन्नाले मधुवन नगरकार्यपालिका सम्भन्तु पर्दछ ।
(ग) “आर्थिक विकास समिति” भन्नाले मधुवन नगरकार्यपालिकाले गठन गरेको आर्थिक विकास समिति सम्भन्तु पर्दछ ।
(घ) “शाखा” भन्नाले मधुवन नगरकार्यपालिकाको पशु सेवा शाखा र “कार्यक्रम” भन्नाले मधुवन नगरसभाबाट स्वीकृत भएका पशु सेवा संबन्धि कार्यक्रमहरु सम्भन्तु पर्दछ ।
(ङ) “सेवा केन्द्र” भन्नाले पशु सेवा शाखा मातहतमा मधुवन नगरपालिका क्षेत्रमा संचालित पशु सेवा संबन्धि सेवा प्रदान गर्ने ईकाइहरु सम्भन्तु पर्दछ ।
(च) “पशु विकास समन्वय समिति” भन्नाले कार्यक्रम क्षेत्र तथा लाभग्राही छनौट, मापदण्ड निर्धारण र अनुगमन तथा मुल्याङ्कनका लागि तोकिए बमोजिमका पदाधिकारी रहने गरी नगर स्तरमा गठन भएको कार्यदल सम्भन्तु पर्दछ ।
(छ) “लाभग्राही” भन्नाले पशु सेवा शाखाबाट कार्यक्रममा ब्यवस्था भए अनुसार अनुदान, पशु उत्पादनमा प्रयोगहुने बस्तु, सामाग्री तथा उपकरणहरु र सेवा प्राप्त गर्ने कृषक/कृषक समुह/समिति/सहकारी/उद्यमी/निजी ब्यवसाय तथा संस्था समेतलाई जनाउँछ ।

३. उद्देश्य: यस निर्देशिकाको उद्देश्य देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

- (क) मधुवन नगरपालिकाका भौगोलिक क्षेत्र तथा हावापानी सुहाउँदो पशु विकास सम्बन्धि दिर्घकालिन योजनाहरु तर्जुमा गर्ने गराउने ।
(ख) पशु सेवा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधिहरुको तर्जुमा गर्ने गराउने ।
(ग) मधुवन नगरपालिकामा पशु पालन ब्यवसायको ब्यवसायीकरण, औधोगिकीकरण, विविधिकरण र आधुनिकीकरणमा सहयोग पुऱ्याउने ।
(घ) मधुवन नगरपालिकालाई दुध, मासु र फूलमा आत्मनिर्भर भई तथा अतिरिक्त उत्पादन निकासी प्रवर्धन गर्न सहयोग पुऱ्याउने ।
(ङ) पशुपालन पेशाको सम्मान, सुरक्षा तथा प्रबर्द्धनमा सहयोग पुगाउने ।

४. कार्यनीति: दफा ३ बमोजिमको उद्देश्य प्राप्तिका लागि देहायको कार्यनीति अपनाईनेछ ।

- क) पशु जन्य वस्तुहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी नगरपालिकालाई दुध, फुल मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने, मुल्य श्रृंखलाको विकास गर्ने तथा अतिरिक्त उत्पादनको निर्यात प्रवर्धनका लागि विशेष कार्यक्रमहरुको तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गर्दै लगिनेछ ।
- ख) कृषक समुदायमा आधारित समुह, समिति, सहकारी, ब्यवसायी, पशु स्वास्थ्यकर्मी, पशु पालन विज्ञ समेतको परामर्शमा नगरपालिकामा पशु पालन ब्यवसायको संभाव्यताको आधारमा पशु पालन प्रवर्द्धन, पशु वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि तथा बजार प्रवर्द्धन संबन्धि दिर्घकालिन योजना र कार्यक्रमहरु तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गर्दै लगिनेछ ।
- ग) पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको सिद्धान्त अंगिकार गरी पशु सेवासम्बन्धी कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि कार्यविधिहरुको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।
- घ) उन्नत प्रविधिको उपयोग गरी पशुपालन ब्यवसायको ब्यवसायीकरण, औधोगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरणमा सहयोग पुऱ्याउन लागत साभेदारीमा विशेष कार्यक्रमहरुको तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गर्दै लगिनेछ ।

परिच्छेद २

कार्यक्रम संबन्धि

५. **कार्यक्रमहरुको किसिम:** देहायमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरुको तर्जुमा तथा कार्यन्वयन गरिनेछ ।
- (क) पशु सेवा प्रसार कार्यक्रम: यस कार्यक्रम अर्न्तगत कृषक क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि प्रसार, जनचेतना प्रवर्धन संबन्धि कार्यक्रमहरु पर्दछन् ।
- (ख) पशु विकास सेवा कार्यक्रम: यस कार्यक्रम अर्न्तगत पशु उत्पादन, पशुपालन ब्यवस्थापन र पशु प्रजनन सेवा संबन्धि कार्यक्रमहरु पर्दछन् ।
- (ग) पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम: यस कार्यक्रममा पशु उपचार, चिरफार, बन्ध्याकरण, पशु रोग निदान, प्रयोगशाला संचालन र पशु रोगहरु विरुद्ध खोप, पशु स्वास्थ्य क्लीनिक घुम्ती सेवा, संबन्धि कार्यक्रमहरु पर्दछन् ।
- (ङ) पशु सेवा नियमन कार्यक्रम : यस कार्यक्रम अर्न्तगत पशुपन्ध्री फर्म, बधस्थल, मासुपसल, पशु औषधि पसल (जैविक पदार्थ समेत), पशु स्वास्थ्यकर्मी, पशु जन्य उद्योग, डेरी पसल र पशु जन्य वस्तुहरुको संकलन केन्द्र समेतको नियमन गर्ने संबन्धि कार्यक्रमहरु पर्दछन् ।
- (च) बजार प्रवर्धन कार्यक्रम : यस कार्यक्रम अर्न्तगत जिउँदो पशु संकलन केन्द्र स्थापना, पशु जन्य वस्तुहरुको संकलन केन्द्र स्थापना, बधस्थल ब्यवस्थापन, मासुपसल सुधार, पशु जन्य उद्योगहरुको स्थापना जस्ता कार्यक्रमहरु पर्दछन् ।
- (छ) पशु फार्म स्थापना, प्रवर्द्धन र सुरक्षा कार्यक्रम : यस कार्यक्रममा नयाँ पशुपन्ध्री फार्म स्थापना तथा दर्ता र अभिलेखिकरण, नयाँ फार्म स्थापनामा प्रोत्साहन कार्यक्रमको तर्जुमा, पुराना ब्यवसायिक पशुपन्ध्री फार्मको सुरक्षा गर्न विभिन्न फार्म प्रवर्द्धन,प्रस्तावमा आधारित फार्म लक्षित अनुदान कार्यक्रम, पशु विमा चेतना तथा सहयोग कार्यक्रमको तर्जुमा जस्ता कार्यक्रमहरु पर्दछन् ।

- (ज) असहाय लक्षित कार्यक्रम : यस कार्यक्रम अन्तरगत समाजमा रहेका एकल महिला, अपाङ्ग, दलित, गरिव, असहाय वृध्वृधाका लागि पशुपन्छी पालनको माध्यमबाट सहायता कार्यक्रम पर्दछन् ।
- (झ) पशु स्वास्थ्य स्वयम् सेवा कार्यक्रम : पशु स्वास्थ्य स्वयम् सेवक नियुक्त र विभिन्न काममा परिचालन जस्ता कार्यक्रम पर्दछन् ।
- (ञ) पशुपन्छी पालन समुह परिचालन कार्यक्रम : पशुपन्छी पालन समुह गठन, दर्ता, नविकरण, अभिलेखिकरण कार्यक्रम पर्दछन् ।
- (ट) माछापालन व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम : माछा पालक कृषकहरुका लागि फार्म सुधार सहयोग कार्यक्रम, नयाँ स्थापना सहयोग कार्यक्रम, नयाँ जातका माछा भुरा सहयोग कार्यक्रम, माछापोखरी सुधार तथा स्थापना कार्यक्रम, औषधि सेवा कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरु पर्दछन् ।
- (ठ) पशु सेवा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम : पशुपालन फार्मको माध्यमबाट अध्ययन अवलोकन गर्न लायक भएको फार्मलाई विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहन कार्यक्रम पर्दछन् ।
- (ड) पशु आहारा सेवा कार्यक्रम : पशुपन्छीलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका हिँउदे, बर्षे, डाले, कोषे, अकोषे जस्ता घाँसको खेति, घाँस तथा घाँसको विउ श्रोत केन्द्र स्थापना, मिनरल ब्लक बनाउने र खुवाउने प्रविधिको विकास जस्ता कार्यक्रम पर्दछन् ।
- (च) तालिम सेवा कार्यक्रम : पशुपालक कृषकहरुका लागि मागमा आधारित विभिन्न प्रकारका स्थलगत तालिम कार्यक्रम, कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रम पर्दछन् ।
- (छ) जन चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम : पशुपालन संग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका जनचेतना मुलक कार्यक्रम गोष्ठी, बुलेटिन प्रकाशन, लिफलेट प्रकाशन, पत्रपत्रिकाबाट प्रचार तथा प्रसार कार्यक्रम, स्कुल शिक्षा कार्यक्रम पर्दछन् ।
- (ज) सुधार कार्यक्रम : पशुपन्छी खोर,गोठ सुधार कार्यक्रम,मासु, डेरी पसल सुधार कार्यक्रम पर्दछन् ।
- (झ) मेसिनरी अनुदान र पशुपन्छी ढुवानी अनुदान कार्यक्रम : च्याफकटर, दाना ग्राण्डरमेसिन, मिल्क क्यान,पशु बस्तु खरिद तथा ढुवानी अनुदान इत्यादी आधा कृषकले व्यहोर्ने गरि अनुदान र १०० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम पर्दछन् ।
- (ञ) पशु स्वास्थ्य सेवा गाँउघर क्लीनिक कार्यक्रम : यो कार्यक्रम अन्तरगत प्रत्येक महिनाको कुनै दिन यस मधुवन नगरपालिका अन्तरगतका वार्डहरुको कुनै टोलहरुमा कुनै भेटेरिनरी प्राविधिक बाट सञ्चालन गरिने उपचार सेवा, परापर्श सेवा, तालिम सेवा, खोप सेवा, सर्जरी सेवा लगायतका कार्यहरु पर्दछन् ।

आवश्यकताको आधारमा समयसमयमा विभिन्न कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

६. **कार्यक्रमहरुको अवधि:** कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्दा पशु विकास समन्वय समितिले देहाय अनुसारको कार्यक्रम अवधि उल्लेख गरी **आर्थिक विकास समिति** मार्फत नगरकार्यपालिकामा पेश भै स्वीकृत भए अनुसारको कार्यक्रम अवधि निर्धारण हुनेछ ।

(क) दिर्घकालिन कार्यक्रम: पाँच बर्ष भन्दा लामो अवधिसम्म कार्यान्वयनमा रहने कार्यक्रमहरु ।

- (ख) मध्यकालीन कार्यक्रम: तिन देखि पाँच वर्षको अवधिसम्म निरन्तर कार्यन्वयनमा रहने कार्यक्रमहरू
- (ग) अल्पकालीन कार्यक्रम: एक आर्थिक वर्ष भित्रमा सम्पन्न भैसक्ने कार्यक्रमहरू ।

७. **कार्यक्रमहरू लागू हुने :** कार्यक्रमहरू तर्जुमा भै नगरसभाबाट स्वीकृत भए पश्चात स्वीकृत कार्यक्रमहरू निर्धारित कार्यविधि/कार्ययोजना/मापदण्ड अनुसार कार्यान्वयन हुनेछ ।

८. **कार्यक्रम संचालनका लागि क्षेत्र तथा लाभग्राहि छनौट :**

- (क) कार्यक्रम संचालनका लागि क्षेत्र तथा लाभग्राहि छनौट गर्न एउटा नगर स्तरीय पशु विकास समन्वय समिति गठन गरिनेछ । **पशु विकास समन्वय समिति**मा अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिमका पदाधिकारीहरू हुनेछन् ।
- (ख) पशु सेवा शाखाले कार्यक्रम संचालन क्षेत्र छनौटका लागि संभाव्यताका आधारमा प्राथमिकता सूची सहित र लाभग्राहि छनौटका लागि सूचना मार्फत प्रस्ताव/ माग निवेदन आह्वान, संकलन तथा दर्ता र प्रारम्भिक मुल्याङ्कन तथा अनुगमन गरी पशु विकास समन्वय समिति समक्ष निर्णयार्थ पेश गर्नेछ ।
- (ग) पशु सेवा शाखाले छनौट भएका क्षेत्रको प्राथमिकीकरण र लाभग्राहिको प्रारम्भिक मुल्याङ्कन गर्दा संवन्धित वडाको वडा कार्यालयहरूसँग परामर्श लिन सक्नेछ ।
- (घ) कार्यक्रमको छनौट गर्दा प्रस्तावको हकमा पशु विकास समितिले अनुसूची ६ बमोजिम मुल्याङ्कन गरी गर्नेछ ।
- (ङ) अन्य निवेदनको हकमा माग गरेका निवेदकको अवस्था, काम गरिरहेको र निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था, अनुगमन गर्दा भेटिएको अवस्था ईत्यादिको आधारमा गर्नेछ ।
- (च) लाभग्राही छनौट गर्दा बाधा अडकाउका लागि पशु विकास समन्वय समितिको निर्णयअनुसार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद ३

सेवा संचालन संवन्धि

९. सेवा संचालन प्रक्रिया :

- (क) पशु सेवा शाखाबाट नियमित रूपमा सञ्चालन हुने सेवाको विवरण अनुसूची ४ मा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ । पशु सेवा शाखा मातहतका सेवा केन्द्रले अनुसूची ४ मा उल्लेख भएका सेवाहरु पूर्ण वा आंशिक रूपमा संचालन गर्नेछन् ।
- (ख) अन्य तथा विशेष कार्यक्रमको सेवा सञ्चालन प्रकृया अनुसूची ५ मा उल्लेख भए बमोजिमको प्रकृयाबाट हुनेछ । कार्यविधि स्वीकृत भैसकेका कार्यक्रमहरुको हकमा संवन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
- (घ) कुनै विशिष्ट प्रकृतिको कार्यक्रम संचालनका लागि बाह्य परामर्शदाता तथा सेवा प्रदायकको आवश्यकता परेमा **पशु विकास समन्वय समितिले** परामर्शदाता तथा सेवा प्रदायकको छनौट गरी शाखा मार्फत सेवा सञ्चालन गर्न गराउन सक्नेछ ।
- (ङ) सेवा सञ्चालन संवन्धि मापदण्ड पशु विकास समन्वय समितिले स्वीकृत गरे अनुसार हुनेछ ।
- (च) अनुदान भुक्तानी संवन्धि व्यवस्था प्रचलित ऐन नियम र संभौतामा उल्लेखित शर्त अनुसार हुनेछ ।

१०. **सेवा शुल्क** : नियमित सेवा प्रवाह गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क नगर कार्यपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ । तर अन्य तथा विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दाका बखत कार्यविधि तथा संभौतामा उल्लेख भए अनुसारको सेवा प्रदान गर्दा लाभग्राहीबाट कुनैपनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन पाईने छैन ।

११. अनुगमन तथा मुल्याङ्कन :

- (क) कार्यक्रमको संचालन एवं प्रभावकारिताको बारेमा **पशु सेवा शाखा, पशु विकास समन्वय समिति र आर्थिक विकास समिति समेतले** आपसि समन्वय गरी आवधिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालनको अनुगमन गरी सो को प्रतिवेदन नगर कार्यपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ ।
- (ख) **दैनिक तथा भ्रमण खर्च भुक्तानी नहुने अवस्थामा अनुगमनकर्ताको दैनिक पारिश्रमिक पशु विकास समन्वय समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।**

१२. **कार्यक्रममा संलग्न निकायहरुको भूमिका** : कार्यक्रममा संलग्न निकायहरुको भूमिका कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । कार्यविधि तय नभैसकेका कार्यक्रमहरुको हकमा कार्ययोजना वा लाभग्राहीसँग को संभौतामा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ ।

१३. **तालिम तथा गोष्ठि सञ्चालन** : स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार तालिम तथा गोष्ठि संचालन गर्दा लाग्ने बजेट तथा भौतिक सामाग्रीहरु **पशु विकास समन्वय समितिबाट निर्धारित** मापदण्ड तथा अनुसूचि ७ अनुसार हुनेछ ।

१४. खर्चको मापदण्ड. अनुसूची ७ बमोजिम हुनेछ ।

१५. कुनै कार्यक्रम खर्च गर्न असहज तथा अष्पष्ट भएमा कार्यक्रमको खर्च शिर्षक लागत तयार पारी पशु विकास समन्वय समितिका अध्यक्षबाट स्वीकृत गराई खर्च गर्न सकिनेछ ।

१६. विभिन्न अनुदानमा लाभग्राही छनौट गर्दा कुनै पनि निकायबाट अनुदान नलिएको लाई मुख्य प्राथमिक्ता दिईनेछ ।

१७. निर्देशिकाको व्याख्या : कार्यक्रम कार्यान्वयनका सिलसिलामा यस निर्देशिकाको कुनै प्रावधानले कुनै बाधा अडचन आएमा वा निर्देशिकाले स्पष्ट रुपमा व्याख्या नगरेमा त्यसको व्याख्या गर्ने तथा त्यसलाई स्पष्ट गर्ने अधिकार पशु विकास समन्वय समितिमा निहित रहनेछ ।

१८. अनुसूचीमा संशोधन : अनुसूचीको हेरफेर तथा संशोधन पशु सेवा शाखाको पहलमा पशु विकास समन्वय समितिले गर्नेछ ।

अनुसूची-१

(दफा ८ (क) सँग सम्वन्धित)

पशु विकास समन्वय समिति गठन (६ जना

- | | |
|---|--------------|
| १. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत | - संयोजक |
| २. संयोजक, आर्थिक विकास समिति | - सदस्य |
| ३. शाखा प्रमुख, कृषि विकास शाखा | - सदस्य |
| ४. नगर सभा सदस्य मध्येबाट नगरपालिका प्रमुखले तोकेको (१ महिला, १ पुरुष)- | सदस्य |
| ५. शाखा प्रमुख, पशु सेवा शाखा | - सदस्य सचिव |

अनुसूची-२

(दफा ८ (ख) सँग सम्बन्धित)

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना

मधुवन नगर पालिका, नगर कार्यपालिका, पशु सेवा शाखाको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना
पथम पटक प्रकाशित मिति २०.../.../...

यस पशु सेवा शाखाको आ.व.२०...../..... को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार
.....कार्यक्रमहरु
संचालन गर्नको लागि मधुवन नगरपालिकामा रहेका व्यवसायिक कृषक/समुह/समिति/सहकारी/
पशुपालन फार्महरु बाट प्रस्ताव/निवेदन आह्वानको लागि यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरीएको
छ । इच्छुक उल्लेखित कृषक/समुह/समिति/सहकारी/पशुपालन फार्महरु ले यो सूचना प्रथम
पटक प्रकाशित भएको मिति ले १५ औं दिन (मिति २०.../.../....) को दिउसो १२.०० बजे भित्र
तपशिलका उल्लेखित कार्यक्रम लागि तोकिएको ढाँचा अनुसारको आवेदन फाराम मधुवन नगर
कार्यापालिका, पशु सेवा शाखामा पेश गर्न हुन जानकारी गराईन्छ । विस्तृत जानकारीका लागि पशु
सेवा शाखा मधुवन नगरपालिकामा सम्पर्क राख्न हुन अनुरोध छ । साथै रित नपुगेका वा म्याद
नाघी प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरु छनौटका लागि समावेस हुन नसक्ने व्यहोरा समेत जानकारी
गराईन्छ ।

लागत साभेदारी तथा अनुदानमा संचालन गर्ने कार्यक्रमहरु

| सि.न. | कार्यक्रमहरु | संख्या |
|-------|--------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

आवेदनका साथ सम्मिलित हुनुपर्ने कागजातहरु :

१. रु. १० को हुलाक टिकट टांस गरेका आवेदन फाराम – १ प्रति
२. आवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपि – १ प्रति
३. समुह/समिति/सहकारी/फार्म दर्ता संबन्धि कागजातका प्रतिलिपिहरु – १ प्रति
४. समुह/समिति/सहकारी/फार्महरुको आवेदन पेश गर्ने संबन्धमा भएको निर्णयको प्रतिलिपि-१ प्रति
५. समुह/समिति/सहकारी/फार्म संचालकले संबन्धित विषयमा तालिमहरु लिएको भए तालिम/
अनुभव संबन्धि कागजातहरुको प्रतिलिपि – १ प्रति
६. सम्बन्धीत वडा कार्यालयको शिफारिस पत्र – १ प्रति
७. आन्तरिक राजस्व कार्यालय दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि – १ प्रति
८. कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि – १ प्रति
९. प्रस्तावको हकमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको अनुसूची-३ अनुसारको प्रस्ताव र
१०. निवेदन माग भएको हकमा मोटा मोटी लागत विवरण- १ थान

मधुवन नगरपालिका
नगर कार्यपालिका
पशु सेवा शाखा

अनुसूची-३

(दफा ८ (ख) संग सम्बन्धित)

प्रस्तावको ढाँचा

| प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव-पत्र | | | |
|----------------------------------|--|-------|-------------------------------|
| क) प्राविधिक प्रस्ताव | | | |
| १ | प्रस्तावित कार्यक्रमको नाम | | |
| २ | कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने स्थानको ठेगाना | | |
| ३ | आवेदकको नाम | | |
| ४ | ठेगाना | | |
| ५ | आवेदकको सम्पर्क टेलिफोन नं | | |
| ६ | आवेदक समुह/समिति/फर्म/उद्योग/ व्यवसायको दर्ता नम्बर | | |
| ७ | दर्ता भएको कार्यालय र मिति | | |
| ८ | आवेदक समुह/समिति/फर्म/उद्योग/ व्यवसायको उमेर (दर्ता वा स्थापना पश्चातको अवधी वर्षमा) | | |
| ९ | पान दर्ता नम्बर | | |
| १० | प्रस्तावित कार्यक्रमको अनुमानित लागत रु | | |
| ११ | प्रस्तावकले आफ्नै श्रोतबाट व्यहोर्ने रकम रु | | |
| १२ | माग रकम रु (अनुदान लागत) | | |
| १३ | प्रस्तावित कार्यक्रमको उद्देश्य | | |
| १३.१ | | | |
| १३.२ | | | |
| १३.३ | | | |
| १३.४ | | | |
| १४ | प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थलमा विद्यमान भौतिक पूर्वाधारहरु | | |
| १४.१ | सडक सुविधा (छ/छैन) | | नजिकको बजारको नाम |
| १४.२ | कस्तो सडक छ (कच्च/पक्क) | | बजार सम्मको दुरी (कि.मी.) |
| १४.३ | बिजुलीको सुविधा (छ/छैन) | | सदरमुकाम देखिको दुरी (कि.मी.) |
| १४.४ | खानेपानीको सुविधा (छ/छैन) | | जग्गाको स्वामित्व (आफ्नै/लिज) |
| १४.५ | आफ्नै स्वामित्वको भवन, मेशिनरी, सवारी साधन र यन्त्रउपकरणको किसिम र संख्या उल्लेख गर्ने | | |
| | क्र.स. | विवरण | संख्या |
| | १. | | |
| | २. | | |
| | ३. | | |
| ४. | | | |
| १५ | प्रस्तावित कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेको संख्या | | |
| १६ | लक्षित समुदाय (अप्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेको संख्या) | | |
| १७ | प्रस्तावित कार्यक्रमबाट सम्पन्न गरिने कृयाकलापहरुको विवरण | | |

| १७.१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------|----|---|---|---|----|----|----|----|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| १७.२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १७.३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १७.४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १८ | कृयाकलाप कार्यान्वयन योजना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">क्र.स.</th> <th rowspan="2">कृयाकलाप</th> <th colspan="12">महिना</th> </tr> <tr> <th>१</th><th>२</th><th>३</th><th>४</th><th>५</th><th>६</th><th>७</th><th>८</th><th>९</th><th>१०</th><th>११</th><th>१२</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | क्र.स. | कृयाकलाप | महिना | | | | | | | | | | | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| क्र.स. | कृयाकलाप | | | महिना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १९ | कार्यक्रम समाप्ति पश्चात अपेक्षित उपलब्धिहरु (बुंदागत रुपमा सम्भव भए परिमाण समेत खुलाउने) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १९.१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १९.२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १९.३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २० | प्रस्तावित कार्यक्रममा अन्य निकायहरु समेत सामेल हुने भए तिनको नाम र सहकार्य रकम खुलाउने | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>सहकार्य गर्ने अन्य निकायहरुको नाम</th> <th>सहकार्य रकम रु</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | क्र.स. | सहकार्य गर्ने अन्य निकायहरुको नाम | सहकार्य रकम रु | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| क्र.स. | सहकार्य गर्ने अन्य निकायहरुको नाम | सहकार्य रकम रु | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २१ | प्रस्तावित विगत वर्षमा सम्पन्न गरेका उल्लेखनिय कार्यहरु (प्रस्तावित कार्यक्रमसंग मेलखाने मात्र) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २१.१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २१.२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २१.३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २२ | उपरोक्त कार्य सम्पादनका लागी भएको लगानी (रु) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २३ | प्रस्तावित कार्यक्रम सम्बन्धि आवेदकको अनुभव र तालिम (अवधि समेत खुलाउने) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २३.१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २३.२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २४ | आवेदकसंग विद्यमान जनशक्ति विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>जनशक्तिको विवरण</th> <th>दक्षता (शैक्षिक योग्यता/तालिम)</th> <th>संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>१.</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>२.</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>३.</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | क्र.स. | जनशक्तिको विवरण | दक्षता (शैक्षिक योग्यता/तालिम) | संख्या | १. | | | | २. | | | | ३. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| क्र.स. | जनशक्तिको विवरण | दक्षता (शैक्षिक योग्यता/तालिम) | संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २५ | प्रस्तावित कार्यक्रमले वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २५.१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २५.२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २६ | वातावरणिय असर न्यूनिकरणका लागी अपनाईने उपाय | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २६.१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २६.२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २६.३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २७ | प्रस्तावित कार्यक्रमले श्रृजना गर्ने थप रोजगारी (संख्या) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ख) आर्थिक प्रस्ताव | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| प्राविधिक प्रस्तावमा उल्लेखित कृयाकलापहरुको लागत अनुमान र सहकार्यको विस्तृत विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्र. सं. | मुख्य कृयाकलापहरु | इकाई | परिमाण | प्रति इकाई दर (रु) | कुल लागत रकम (रु) | प्रस्तावकको योगदान (रु) | अनुदानबाट व्यहोरिने रकम (रु) | प्रस्तावकले व्यहोर्ने रकमको श्रोत |
|---|-------------------|------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| १ | | | | | | | | |
| २ | | | | | | | | |
| ३ | | | | | | | | |
| ४ | | | | | | | | |
| जम्मा (रु) | | | | | | | | |
| भ्याट (रु) | | | | | | | | |
| कूल जम्मा (रु) | | | | | | | | |
| माथि उल्लेखित सम्पूर्ण विवरणहरु सही रुपमा पेश गरेको छु , कहीं कतै भुठो ठहरेमा कानुन बमोजिम सजाय भोग्न तयार रहेको व्यहोरा समेत अवगत गराउछु/छौं । | | | | | | | | |
| प्रस्तावक समुह/समिति/फर्म/उद्योग/ व्यवसायको जिम्मेवार पदाधिकारीको | | | | | | | | |
| नाम : | | | | | | | | |
| पद: | | | | | | | | |
| हस्ताक्षर | | | | | | | | |
| मिति: | | | | | | | | |
| समुह/समिति/फर्म/उद्योग/ व्यवसायको छाप | | | | | | | | |

नोट: आवश्यकता अनुसार लाईनहरु थप घट गर्न तथा ठूलो सानो पार्न सकिनेछ ।

अनुसूची-४

(दफा ९ (क) सँग सम्बन्धित)

पशु सेवा शाखाले नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यहरू

| क्र.स. | सेवाको प्रकृति | सेवाग्राहीले पुर्याउनु पर्ने प्रक्रिया /पेश गर्नुपर्ने कागज | लाग्ने शुल्क/दस्तुर | लाग्ने समयावधि | गुनासो सुन्ने पदाधिकारी |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------|
| क. दर्ता तथा नविकरण | | | | | |
| १ | समिती/समूह दर्ता तथा विविधिकरण | १. रु १०१- को टिकट सहितको निवेदन | नगर कार्यपालिकाले तोके अनुसार | दिनको २ बजे भित्र कार्यालयमा रितपूर्वक निवेदन दर्ता भएको हकमा सोही दिन कार्यालय समय भित्र | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत |
| | | २. समूह समितिको निर्णय माईनुट र विधानको प्रतिलिपि | | | |
| | | ३. सम्बन्धित वडा कार्यालयको शिफारिस | | | |
| | | ४. सदस्यहरूको नगरिकताको प्रतिलिपि | | | |
| | | ५. तालिम प्रमाणको प्रतिलिपि | | | |
| २ | व्यवसायिक फर्म दर्ता अभिलेखिकरण | १. रु १०१- को टिकट सहितको निवेदन | नगर कार्यपालिकाले तोके अनुसार | सोही दिन र स्थलगत निरीक्षण गर्नुपरेमा १० दिन | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत |
| | | २. नागरिकताको प्रतिलिपि | | | |
| | | ३. सम्बन्धित सेवाकेन्द्रको शिफारिस | | | |
| | | २. माईनुटको निर्णयका प्रतिलिपि | | | |
| | | ३. विनियम/विधान | | | |
| ४. सम्बन्धित वडा कार्यालयको शिफारिस | | | | | |
| ख. पशुपंक्षी स्वास्थ्य सेवा | | | | | |
| १. उपचार सेवा | | | | | |
| १.१ | गाई, भैंसी | पशुलाई पशु सेवा शाखा डिस्पेन्सरीमा ल्याईनुपर्ने | नगर कार्यपालिकाले तोके अनुसार | दिनको १ बजे भित्र दर्ता भएको हकमा सोही दिन कार्यालय समय भित्र | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत |
| १.२ | भेडा, बाखा, वंगुर, खरायो | पशुलाई पशु सेवा शाखा डिस्पेन्सरीमा ल्याईनुपर्ने | नगर कार्यपालिकाले तोके अनुसार | दिनको १ बजे भित्र दर्ता भएको हकमा सोही दिन कार्यालय समय भित्र | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत |
| १.३ | कुखुरा हांस र अन्य पंक्षी | पशुलाई पशु सेवा शाखा डिस्पेन्सरीमा ल्याईनुपर्ने | नगर कार्यपालिकाले तोके अनुसार | दिनको १ बजे भित्र दर्ता भएको हकमा सोही दिन कार्यालय समय भित्र | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|-------------------------------|---|-------------------------|
| १.४ | कुकुर, बिरालो | पशुलाई पशु सेवा शाखा डिस्पेन्सरीमा ल्याईनुपर्ने | नगर कार्यपालिकाले तोके अनुसार | दिनको १ बजे भित्र दर्ता भएको हकमा सोही दिन कार्यालय समय भित्र | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत |
| १.५ | घोडा बांदर र अन्य वन्य जन्तुहरु | पशुलाई पशु सेवा शाखा डिस्पेन्सरीमा ल्याईनुपर्ने | नगर कार्यपालिकाले तोके अनुसार | दिनको १ बजे भित्र दर्ता भएको हकमा सोही दिन कार्यालय समय भित्र | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत |
| २. प्रयोगशाला सेवा | | | | | |
| २.१ | गोबर परिक्षण | विधि पूर्वक गोबर सकलन गरी पेश गरेको हुनुपर्ने | नगर कार्यपालिकाले तोके अनुसार | १ बजे भित्र दर्ता भएको हकमा सोही दिन कार्यालय समय भित्र, १ बजे पछि दर्ता भएको हकमा भोली पल्ट कार्यालय समय भित्र | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत |
| २.३ | थुनेलो परिक्षण | विधि पूर्वक दुध सकलन गरी पेश गरेको हुनुपर्ने | | | |
| २.२ | शव परिक्षण | प्राविधिक हिसावले ठीक हुनुपर्ने, मरेको पशुको शव सबन्धित निकायमा उपर्युक्त किसिमबाट ल्याएको हुनुपर्ने, पुरानो, सढेको र दुर्गन्धित पशुपंक्षीको शव परिक्षण गरिने छैन । | नगर कार्यपालिकाले तोके अनुसार | दिनको १ बजे भित्र दर्ता भएको हकमा सोही दिन कार्यालय समय भित्र, | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत |
| ३. माईनर सर्जिकल सेवा : | | | | | |
| ३.१ | बोका, सांढे, रांगो सुमार्ने (खसि पार्ने) | पशुलाई पशु सेवा शाखामा ल्याईनुपर्ने | नगर कार्यपालिकाले तोके अनुसार | सोही दिन | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत |
| घ. पशु प्रजनन सेवा | | | | | |
| १ | कृत्रिम गर्भाधान सेवा (गाई, भैंसी) | पशुलाई पशु सेवा शाखामा वा पशु सेवा शाखाले तोकेको स्थानमा ल्याईनुपर्ने | नगर कार्यपालिकाले तोके अनुसार | आवश्यकता अनुसार सोही दिनभित्र | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत |
| २ | गर्भ परीक्षण (गाई, भैंसी) | पशुलाई पशु सेवा शाखामा वा पशु सेवा शाखाले तोकेको स्थानमा ल्याईनुपर्ने | नगर कार्यपालिकाले तोके अनुसार | सोही दिन | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत |
| ङ. परामर्श सेवा | | | | | |
| १ | महामारी रोग नियन्त्रण | मौखिक तथा लिखित अनुरोध | निःशुल्क | सोही दिन | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत |
| २ | पशु आहारा व्यवस्थापन | मौखिक तथा लिखित अनुरोध | निःशुल्क | सोही दिन | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|----------|----------|-------------------------------|
| ३ | पशुपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन | मौखिक तथा लिखित अनुरोध | निःशुल्क | सोही दिन | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत |
| ४ | पशु प्रजनन् व्यवस्थापन | मौखिक तथा लिखित अनुरोध | निःशुल्क | सोही दिन | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत |
| ५ | बजारीकरण सेवा | मौखिक तथा लिखित अनुरोध | निःशुल्क | सोही दिन | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत |
| ६ | बिमा सम्बन्धि | मौखिक तथा लिखित अनुरोध | निःशुल्क | सोही दिन | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत |

नोट :उल्लेख नभएका कार्यक्रमहरुको हकमा पशु विकास समन्वय समितिको निर्णय अनुसार तथा प्रचलित ऐन,कानुन, नियम बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची-५
(दफा ९ (ख) सँग सम्बन्धित)

अन्य तथा विशेष कार्यक्रम संचालन प्रकिया :

| क्र.सं. | कार्यविधि | जिम्मेवारी |
|---------|---|---|
| १ | वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि/कार्ययोजना/मापदण्ड प्रस्ताव गर्ने | पशु सेवा शाखा |
| २ | वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि छलफल गरी आर्थिक विकास समितिमा पेश गर्ने तथा कार्ययोजना र मापदण्ड स्वीकृत गर्ने | पशु विकास समन्वय समिति अध्यक्ष |
| ३ | वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र कार्यान्वयन कार्यविधि छलफल गरी निर्णय प्रकृयाका लागि नगर कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्ने | आर्थिक विकास समिति |
| ४ | वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि नगर सभामा पेश गर्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत गर्ने | नगर कार्यपालिका |
| ५ | स्वीकृत कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन संबन्धि क्षेत्र प्राथमिकीकरण, सुचना प्रशारण, प्रस्ताव आह्वान, प्रस्ताव संकलन तथा प्रारम्भिक मुल्याङ्कन | पशु सेवा शाखा |
| ६ | कार्यक्रम कार्यान्वयन क्षेत्र छनौट, प्रस्तावको अन्तिम मुल्याङ्कन तथा लाभग्राही छनौट | पशु विकास समन्वय समिति |
| ७ | लाभग्राही सँग संझौता गर्ने | पशु सेवा शाखा |
| ८ | कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजीकरण | पशु सेवा शाखा |
| ९ | कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्याङ्कन | पशु सेवा शाखा र पशु विकास समन्वय समिति, नगर कार्यपालिका पदाधिकारी |

अनुसूची ६

(दफा-८ को (घ) संग सम्बन्धित)

कार्यक्रम संचालनका लागि संस्थाको प्रस्ताव छनौट गर्दा अपनाईने मूल्यांकनका आधारहरु

| क्र.सं. | द.नं. | आवेदक संस्थाको नाम | ठेगाना | कार्य योजना (२५) | व्यवसायको सम्भाव्यता/ उपयुक्तता (२५) | अनुभव/ तालिम, भौतिक संरचना (१०) | गाई/भैसी,बंगुर,कुखुरा बंस सुधार गरी श्रोत केन्द्रको रुपमा व्यवस्थापन गरीरहेको पशुपन्छी संख्या (१५) | घाँस विकास गरेको वा विकास गरिने जग्गाको क्षेत्रफल (२५) | कुल प्राप्तांक (१००) | कैफियत |
|---------|-------|--------------------|--------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

पशु विकास समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको :

नोट: मुल्याङ्कनका आधार फर्म र आवश्यकता अनुसार पशु विकास समन्वय समितिकोले हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

नाम थर :

पद :

कार्यालय/ठेगाना

दस्तखत

- १.
- २.
- ३.
- ४.
- ५.
- ६.

अनुसूची-७

(दफा-१३ र १४ संग सम्बन्धित)

खर्चको मापदण्ड तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ।

१. सबै प्रकारका तालिम, गोष्ठी, सेमिनार कार्यशाला, सन्चालन सम्बन्धी खर्चको मापदण्ड

| सि.न. | प्रयोजन विवरण | दर | | स्पष्टीकरण, कैफियत |
|-------|---|---|---|---|
| | | नगर स्तर | वडा स्तर | |
| १ | तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाको कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता पारिश्रमिक प्रति सत्र क) बाहिरी प्रस्तुतकर्ता अधिकृत स्तर कार्यपत्र बापत प्रबचन बापत सहायक स्तर कार्यपत्र बापत प्रबचन बापत ख) आन्तरिक प्रस्तुतकर्ता अधिकृत स्तर कार्यपत्र बापत, प्रबचन बापत सहायक स्तर कार्यपत्र बापत, प्रबचन बापत | १५०० १००० १५०० ८०० १५०० १००० | १५०० १००० १५०० ८०० १५०० १००० | <ul style="list-style-type: none"> कार्यपत्र कम्तिमा १२०० शब्दको हुनु पर्नेछ । खेसा टिपोटको कपि मान्य हुने छैन । आन्तरिक प्रस्तुतकर्ता भन्नाले सम्बन्धित निकाय भित्रकै पदाधिकारी वा व्यक्ति सम्भन्नु पर्दछ । बाहिरी प्रस्तुतकर्ता भन्नाले सम्बन्धित कार्यालय बाहिरको पदाधिकारी वा व्यक्ति सम्भन्नु पर्दछ । टाढाबाट बोलाउनु परेमा दैनिक भ्रमण खर्च र आतेजाते नियमानुसार दिनु पर्नेछ । |
| | तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन कार्यशालाको टिप्पणी | ९०० | ५०० | <ul style="list-style-type: none"> एउटा कार्यपत्रमा २ जना भन्दा बढी टिप्पणी कर्ता राख्न नमिल्ने । |

| कर्ता | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|--|
| तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन कार्यशालाको अध्ययन आवद्धता, छलफल कार्यक्रम, जस्ता समारोह उद्घाटन समापन समारोहमा सहभागिको खाजा खाना प्रति दिन प्रति व्यक्ति | खाजा २०० खाना ४०० | खाजा २०० खाना ४०० | | विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई यस्ता कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेमा सहभागिको खाजा खानामा एकमुष्ट १५०० प्रति व्यक्ति प्रति दिन खर्च गर्न सकिनेछ। यस्तो खर्च गर्दा विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थिति प्रमाणित हुनु पर्नेछ। |
| तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन कार्यशालाको अध्ययन आवद्धता, छलफल कार्यक्रम, जस्ता समारोहमा संयोजक भएको प्रति दिन प्रति व्यक्ति | ५०० | ५०० | | |
| तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन कार्यशालाको अध्ययन आवद्धता, छलफल कार्यक्रम, जस्ता समारोहमा प्रमुख अतिथि, अतिथि प्रति दिन प्रति व्यक्ति | १५०० | १००० | | ● बढिमा ४ जनालाई सहभागि गर्न सकिनेछ। |
| हल भाडा तथा उपकरण भाडामा लिनु परेमा | प्रचलित बजार दर | प्रचलित बजार दर | | |
| सहयोगी भत्ता प्रति दिन प्रति व्यक्ति | ३०० | ३०० | | |
| स्टेशनरी खर्च प्रति व्यक्ति | ५० | ५० | | |
| तुल ब्यानर, पानी एकमुष्ट | १५०० | १५०० | | |
| तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन कार्यशालाको अध्ययन आवद्धता, छलफल कार्यक्रम, जस्ता समारोहमा सहभागि भत्ता प्रति दिन प्रति व्यक्ति | १००० | | | ● तालिममा २० देखि २५ जना, गोष्ठीमा ३० देखि ४० जना सम्म सहभागि गराउन सकिने तर त्यो भन्दा ठुलो सेमिनार छलफल कार्यक्रममा खाजा खर्च मात्र गर्न सकिने। |
| तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन कार्यशालाको अध्ययन आवद्धता, छलफल कार्यक्रम, जस्ता समारोहमा प्रतिवेदक एकमुष्ट प्रति कार्यक्रम | १००० | ५०० | | |

२. विभिन्न अनुगमन सम्बन्धि खर्चको मापदण्ड-

| सि.न. | प्रयोजन विवरण | दर | | स्पष्टीकरण, कैफियत |
|-------|---------------|----------|----------|--|
| | | नगर स्तर | वडा स्तर | |
| १ | बजार अनुगमन | १५०० | १५०० | ● दैनिक भ्रमण खर्च दिनु पर्ने अवस्थामा नियमानुसार खर्च गर्न सकिने। |

३. विभिन्न प्रकारको नमुना संकलन गर्दा प्रति पशु रु १०, डाटा संकलन गर्न कर्मचारी तथा व्यक्ति सेवा करारमा लिनु परेमा दैनिक १००० भत्ता उपलब्ध गर्न सकिनेछ । लामो समयको कार्यक्रम भएमा करार सम्भौता अनुसार हुनेछ ।

४. विभिन्न बैठक सम्बन्धि खर्चको मापदण्ड-

| सि.न. | प्रयोजन विवरण | दर | | स्पष्टीकरण, कैफियत |
|-------|----------------------------------|----------|----------|--|
| | | नगर स्तर | वडा स्तर | |
| १ | विभिन्न बैठक, समिति बैठक ईत्यादी | १००० | १००० | ● कार्यालय समय भन्दा बाहिर बस्नु परेमा मात्र खर्च गर्न सकिने । |

५. विभिन्न खोप सेवा सञ्चालन गर्नु पर्दा भ्याक्सिनेटरलाई तपसलि बमोजिम रकम उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

- पि.पि.आर. खोप सेवा कार्यक्रम : भेडा,बाखा प्रति पशु ५ रुपियाँ ।
- स्वाईन फिवर रोग तथा अन्य बंगुरका रोग विरुद्धको खोप प्रति पशु रु १० रुपियाँ ।
- गाई, भैसिलाई विभिन्न खोपको प्रति पशु रु १० रुपियाँ ।
- कुखुरा तथा अन्य पन्छी प्रति गोटा रु १ रुपियाँ ।
- कुकुर,विरालो प्रति पशु रु २० रुपियाँ ।

६. पशु स्वास्थ्य सेवा गाँउघर क्लीनिक कार्यक्रम सम्बन्धि खर्चको मापदण्ड :

- पशु स्वास्थ्य सेवा गाँउघर क्लीनिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वयम्सेवक (भेटेरिनरी प्राविधिक जे.टि.ए. तथा यो भन्दा उच्च भेट.प्राविधिक शिक्षा प्राप्त) छनौट गरी आपसि सम्भौता अनुसार न्युनतम मासिक पारिश्रमिक (१०००० देखि १५००० सम्म) दिएर सञ्चालन गर्न सकिने । वा पशु सेवा शाखामा कार्यरत प्राविधिकहरुलाई प्रति क्लीनिक सञ्चालन रु १००० भत्ता दिएर सञ्चालन गर्न सकिने ।
- पशुपन्छीको औषधि खरिदमा खर्च गर्न सकिने । (उपचार, परजिवी नियन्त्रण, सर्जिकल सेवा, खोप ईत्यादी सेवाका लागि)
- न्युनतम स्टेशनरी तथा खाजा खर्च गर्न सकिने ।

आज्ञाले

गोपालराज तिमिल्सिना

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

